22-11-2017

पत्रावली पेश हुई। आवेदिका एवं उपस्थित। वादी प्रार्थनापत्र उपस्थित हुआ। प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र है कि प्रार्थीगण के पिता की ग्राम पंचायत किशोलिया की आराजी नम्बर 1/4 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 48/1 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 83 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 84 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता को आवंटित हुई थी। आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। विपक्षी नम्बर 2 के नाम्ये में गलत तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण जब कार्यालय में विपक्षी के पास गए तब विपक्षी ने भूमि की तरमीम प्रार्थीगण जब कार्यालय में कर दी गई। विपक्षी नम्बर 1 जबकि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। अतः अपील मय विलम्ब का है विपक्षी को पाबन्द कराया फरमावें।

विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण को गलत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। कोई भूमि प्रार्थीगण आवंटन की नहीं हुई थी। प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विपक्षी की भूमि के चारों तरफ पक्का की दीवार होकर भूमि में कोलर प्लान्ट स्थापित है। विपक्षी आवंटित भूमि पर ही काबिज है। प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान भी आवेदक/प्रार्थनापत्र ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया।

प्रार्थीगण, विपक्षीगण का कब्जा आवंटित भूमि पर है या नहीं, गलत तरमीम के संबंध में फैसला के पश्चात ही प्रकरण लम्बित है किसी स्थगन होगी। तब तक कार्यालय भूमि की उक्त पक्का चारदीवारी बनाये रखेंगे। कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेंगे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 212 रा.ल.रा. स्वीकार किया जाता है।